न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

निगरानी संख्या 17 / 22 वर्ष 2022

जीसीएम संख्या :–2022 / 140

बउनवानी:– 1. भजन पुत्र श्री मांग्या जाति बैरवा निवासी पावंडेरा तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र रामनिवास रेगर निवासी डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद स्कूल के पास वार्ड नम्बर 8 प्रेम नगर–1 इन्द्रा गांधी नगर कोटा ,
2. कान्ति पुत्री रामनिवास पत्नि नन्दराम रैगर निवासी ग्राम खिरनी तह0 बौली
3. गोपीचन्द पुत्र रामनिवास रैगर निवासी डॉ.राजेन्द्र प्रसाद स्कूल के पास वार्ड नम्बर 8 प्रेम नगर–1 इन्द्रा गांधी नगर कोटा
4. पार्वती पुत्री रामनिवास पत्नि देवेन्द्र रेगर निवासी ग्रेन गोदाम रोड, बजरिया,स0मा0
5. ममता पुत्री रामनिवास पत्नि कमलेश रेगर निवासी मोहल्ला बीहिर टोंक
6. लाली देवी पत्नि रामनिवास जाति रेगर निवासी डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद स्कूल के पास वार्ड नम्बर 8 प्रेम नगर –1 इन्द्रा गांधी नगर कोटा ,
7. सावित्री पुत्री रामनिवास पत्नि प्रेमप्रकाश रेगर निवासी अन्नपूर्णा डूंगरी टोंक
8. आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 22.10.1975 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)

उपस्थितः– 1. श्री भोलाशंकर शर्मा वकील प्रार्थी

2. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक 25.2.2026

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 22.10.1975 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी को सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस पेश की गयी।

वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस में तथ्य अंकित किया कि खसरा नम्बर साविक 1276 रकबा 5 बीघा वाकै ग्राम पांवाडेरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर हाल खसरा नम्बर 2309 / 2901 रकबा 1.26 है० वाकै ग्राम पांवाडेरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर बाबत् रामनिवास पुत्र छीतर रैगर निवासी पांवाडेरा द्वारा अलॉटमेंट हेतु दरख्वास्त दी गयी,लेकिन सम्पूर्ण दरख्वास्त में उल्लेखित नहीं है कि प्रार्थी रामनिवास किस खसरा नम्बर में कितना रकबा चाहता है। दरख्वास्त में रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा दर्ज है। लेकिन अलॉटमेंट 5 बीघा का किया गया है। रिपोर्ट पटवारी में पटवारी ने रामनिवास के नाम 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड होना बताया है अर्थात् आवंटन के समय रामनिवास भूमिहीन व्यक्ति नहीं था। जिसके कारण वह अपने नाम भूमि आवंटन करवाने का हकदार नहीं है। यह तथ्य भी अंकित किया कि अलॉटमेंट से पूर्व ना तो कोई उद्घोषणा जारी की गई, ना ही कोई नोटिस वगैरह की चस्पान्दगी की गई, ना ही कोई अनऑक्यूपाईड भूमि की लिस्ट तैयार की गई ओर ना ही अलॉटमेंट कमेटी की कोई बैठक ग्राम पांवाडेरा में हुई अर्थात् उपरोक्त अलॉटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। ऐसी सूरत में उक्त अलॉटमेंट कानून विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। आवंटन कमेटी की बैठक होने अथवा कमेटी द्वारा आवंटन की अनुशंसा की जाने संबंधी कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है, अर्थात् ये आवंटन कोरम द्वारा नहीं किया गया है, ना ही कोरम द्वारा आवंटन की कोई अनुशंसा की गई। बिना कोरम के आवंटित भूमि पर आवंटी रामनिवास का कोई कब्जा नहीं है। इसके अतिरिक्त गैर खातेदारी का जो नामान्तरकरण आवंटी रामनिवास के नाम खुला, उसके पश्चात् जो खातेदारी का नामान्तरकरण खोला गया,वह रामेश्वर पुत्र छीतर रैगर के नाम खोला गया। इससे ये साबित है कि रामनिवास का मौके पर कोई कब्जा नहीं रहा है। यह भी अंकित किया कि रामेश्वर पुत्र छीतर नाम का कोई व्यक्ति ग्राम पांवडेरा में कभी नहीं रहा है। ऐसी सूरत में रामेश्वर पुत्र छीतर नाम के

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

व्यक्ति का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं रहा है। चूंकि रामनिवास ने विवादित आराजी को काश्त नहीं किया, जबकि कानून ये है कि अलॉटमेंट के वक्त 50 प्रतिशत एवं अलॉटमेंट के पश्चात् पूरी जमीन को काश्त किया जाना आवश्यक है। विवादित भूमि पर प्रार्थी का पचासों वर्षों से कब्जा है, जिसकी खसरा परिवर्तनशील की नकलें प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, जो ये साबित करती है कि रामनिवास या रामेश्वर का इस आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा। इसके अलावा भी प्रार्थी ग्राम पंचायत एवं हल्का पटवारी द्वारा दी गई कब्जा रिपोर्ट पेश कर रहा है जो ये साबित करती है कि विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा रामेश्वर व रामनिवास नाम के व्यक्तियों का नहीं रहा है। चूंकि वरवक्त अलॉटमेंट विवादित भूमि खाली नहीं थी, बल्कि प्रार्थी के कब्जे में थी, लिहाजा प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि का अलॉटमेंट नहीं हो सकता। रामनिवास की मृत्यु हो चुकी है तथा रामेश्वर नाम का कोई व्यक्ति ग्राम पांवाडेरा में कभी नहीं रहा है। लिहाजा रामनिवास के वारिसान को पक्षकार बनाकर ये प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। वारिसान चालाकी पूर्वक रामनिवास एवं रामेश्वर को एक ही व्यक्ति बताकर रामनिवास उर्फ रामेश्वर नाम से विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाने पर आमादा है। जो कानून विरुद्ध है क्योंकि मौके पर प्रार्थी का कब्जा है एवं कब्जे के अभाव में विपक्षीगण किसी भी प्रकार से उक्त भूमि को अपने नाम नामान्तरित नही करवा सकते है। विपक्षीगण ने कभी भी रामेश्वर पुत्र छीतर रैगर नाम को संशोधित करवाने का प्रयास नहीं किया एवं रिकॉर्ड में ये भी रामेश्वर पुत्र छीतर के नाम से दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। ऐसी सूरत में धारा 63 व 65 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक उक्त आराजी से कब्जे के अभाव में विपक्षीगण के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके है। विपक्षीगण कभी ग्राम पांवाडेरा में नहीं रहे। लिहाजा उन्होंने कभी भी विवादित आराजीयात को काश्त नहीं किया ना ही उनका कब्जा है। प्रार्थी को उक्त अलॉटमेंट आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 04/07/2022 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर एवं दिनांक 05/07/2022 को नकल लेने पर सर्वप्रथम इल्म हुआ। लिहाजा बयोम इल्म से ये प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मे अंकित किया कि प्रार्थी भजन द्वारा हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14/04 एल०आर० एक्ट के तहत आवंटन आदेश दिनांक 22.10.1975 न्यायालय एस०डी०ओ० सवाई माधोपुर के विरुद्ध दिनांक 26.09.2022 को लगभग 47 वर्ष पश्चात् श्रीमान् जी के न्यायालय में गलत तथ्य दर्शाकर पेश किया है। जबकि वास्तविकता यह है कि दिनांक 22.10.1975 को वाके ग्राम पांवडेरा में साविक खसरा नं० 1276 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन रूल्स के मुताबिक रामनिवास पुत्र छीतर जो अप्रार्थीगण के पूर्वज है को आवंटित की गयी थी तथा आवंटन के पश्चात् रामनिवास पुत्र छीतर रैगर को मौके पर कब्जा सम्भला दिया गया था तथा गैर खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया था तब से लेकर आज दिनांक तक अप्रार्थीगण के पूर्वज रामनिवास का कब्जा काश्त रहा तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उपरोक्त आराजी पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त रहकर लाभान्वित होते चले आ रहे है। प्रार्थी का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व वास्ता नही है तथा प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को झूंठे मुकदमेबाजी में उलझाने, परेशान करने की गरज से पेश किया है जो निरस्तनीय हैं। उक्त आवंटन करते समय आवंटन नियमों के तहत आवंटन रूल्स के मुताबिक आवंटन हेतु नियमानुसार उद्घोषणा जारी हुई थी प्रार्थना पत्र विभिन्न लोगों से लिये गये थे तथा उस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली गयी तथा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश से उक्त आवंटन आदेश दिनांक 22.10.1975 रामनिवास पुत्र छीतर को जारी किया गया है। उक्त आवंटन किये जाने से पूर्व समस्त कार्यवाहियाँ नियमानुसार सम्पादित की गयी है। उक्त आवंटित भूमि का रामेश्वर उर्फ रामनिवास पुत्र छीतर रैगर खातेदार काश्तकार है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज का कब्जा काश्त होने पर ही तहसीलदार द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी दी गयी है। दिनांक 06.11.2016 को रामनिवास उर्फ रामेश्वर रैगर पुत्र छीतर रैगर की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के उपरान्त रामनिवास रैगर की बैवा श्रीमति लाली देवी अप्रार्थी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस शपथ पत्र, आधार कार्ड, जमाबन्दी की नकल के साथ प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय को पेश किया था जिसे दिनांक 25.07.2022 को उक्त नामान्तकरण भरने के उपरान्त खारिज कर दिया जिसकी अपील माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय, सवाई माधोपुर के यहाँ पेश की थी जिस पर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनः तहसीलदार चौथ का बरवाडा को प्रतिप्रेषित किया गया जो आज भी लम्बित है। इससे स्पष्ट है कि आवंटन के उपरान्त गैर खातेदारी

.....(2).....

(कानाराम)
जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

तथा गैर खातेदारी से खातेदारी आवंटी को विधिसम्मत तरीके से सम्पूर्ण जाँच कर प्रदान की गयी है तथा खातेदारी मिलने के पश्चात् यदि किसी राजकीय पॉलिसी का हनन नहीं हुआ हो तो इतने लम्बे समय पूर्व किये गये आवंटन आदेश के निरस्तीकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एवम् माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की कई नजीरों में अवैध माना है तथा आवंटन आदेश को सही माना है। प्रार्थी द्वारा लिखित बहस में अंकित किया कि उक्त आराजी पर आवंटन के समय अलोटी का कब्जा नही रहा जबकि आवंटन रूल्स के मुताबिक राजकीय भूमि सिवायचक को किसी भी व्यक्ति को अलोट किया जा सकता है तथा प्रार्थी ने वरवक्त अलोटमेन्ट को प्रार्थना पत्र भी नही दिया है तथा कब्जे के आधार पर सिर्फ नियमन किया जा सकता है अलोटमेन्ट पर यह शर्त लागू नही होती है। इस सम्बन्ध में डीएनजे 2020 पृष्ठ 460 का हवाला देते हुये आर०आर०टी० 2023 पेज 436 पर निर्धारण किया गया है, इसी प्रकरण 33 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) एलआर एक्ट को कालवाधित व गुणावगुण पर खारिज किया गया है, यह आर०आर०टी० 23 पृष्ठ 559 पर निर्धारित किया है। आर०आर०टी० 24(2) पेज 1371 पर यह निर्धारित किया गया है कि आवंटन के 17 वर्ष बाद खातेदारी अधिकार प्रदान करने के बाद आवंटन रद्द किया गया था जिसे गलत मानत हुये निर्णय निरस्त कर आवंटन को यथावत रखा जावें। आरआरटी 2003 (2) पेज 921 पर यह निर्धारित किया है कि 14(4) एल०आर० एक्ट के तहत आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्ति से पूर्व नियम लागू होगें तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होते ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिकार मिल जाते है और 14 (4) एलआर एक्ट के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) एल०आर० एक्ट खारिज फरमाया जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा लिखित बहस मे अंकित तथ्यो एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि प्रार्थी के अनुसार रामनिवास पुत्र छीतर नाम का कोई व्यक्ति नही है तथा रामेश्वर पुत्र छीतर की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी के पूर्वज रामनिवास पुत्र छीतर रेगर को आवंटित उक्त भूमि पर अप्रार्थीगणों एवं आवंटी का कब्जा काश्त नही है। अप्रार्थी के अनुसार आवंटन के प्रार्थना पत्र में आवंटित भूमि का ख0न0 अंकित किया जाना आवश्यक नही है क्योकि अतिक्रमण मुक्त सिवायचक भूमि का किसी भी भूमिहीन व्यक्ति को आवंटित की जा सकती है। आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है मुताबिक आवंटन मिसल आवटन के समय अप्रार्थी के पूर्वज के पास 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि थी अर्थात आवंटी आवंटन के समय भूमिहीन व्यक्ति था। आवंटन आदेश पर भी आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यो के हस्ताक्षर है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि एवं आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त केवल मात्र मिथ्या कथन एवं छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) करवाये गये आवंटन को ही निरस्त किया जा सकता है किन्तु उक्त आदेश जैर निगारानी किसी भी प्रकार से मिथ्या कथन एवं छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) करवाये गये आवंटन प्रमाणित नही होता है। इस प्रकार आदेश जैर निगरानी मे ऐसी कोई विधिक त्रुटि नही है जिसके आधार पर आवंटन आदेश को खारिज किया जा सके। वकील प्रार्थी द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिसके आधार पर अप्रार्थी के पूर्वज को उक्त भूमि के आवंटन के अयोग्य माना जा सके ओर आवंटन आदेश को विधिविरूद्व साबित किया जा सकें। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जे होने के आधार पर विधिसम्मत पारित आदेश जैर निगरानी को निरस्त नही किया जा सकता है। अतः उक्त आवंटन आदेश मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.2.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner